न्यायालय :: जनपद न्यायाधीश, एटा

उपस्थितः दिनेश चन्द, 'एच0जे0एस0'

जे0ओ0 कोड सं0 यू0पी06538

व्यवहार प्रकीर्ण वाद सं0–219/2025

सी0एन0आर0 नं0–UPET010074492025

मुन्नालाल

बनाम

उ0प्र0 राज्य आदि

10.04.2026

पुकारा गया। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित।

प्रार्थना–पत्र 6सी2, अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम पर सुना गया।

आवेदक की ओर से प्रार्थना–पत्र 6सी2, अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त अपील न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) एटा द्वारा मूलवाद सं0 2195/2021 मुन्नालाल बनाम सरकार उ०प्र० आदि में पारित आदेश दिनांक–14–08–2025 के विरुद्ध पेश की गयी है, जिसमें आवेदक ने जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया है। जैसे ही आवेदक को दिनांक 15–09–2025 को यह कानूनी राय मिली कि इस आदेश के विरुद्ध अपील पेश करके यह आदेश खारिज काया जा सकता है, वैसे ही दिनांक 16–09–2025 को आदेश की नकल का सवाल डलवाकर उसी दिन नकल प्राप्त की जो संलग्न की जा रही है। उसके बाद वकील साहब ने अगले दिन खर्चा लेकर आने के लिये कहा किन्तु आवेदक वापस लौटते समय बेमौसमस की बरसात में भीग जाने के कारण बीमार हो गया, जिसका देहाती इलाज कराने के बाद जब ठीक हुआ है, तब यह अपील पेश की है जिसमें कोई विलम्ब जानबूझकर नही किया गया है। बीमारी की वजह से हुये विलम्ब के लिये आवेदक धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत देरी का लाभ पाने का हकदार है। अतः प्रार्थना की गयी है कि आवेदक की अपील धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ देकर अन्दर मियाद मानकर सुनवाई के लिये अंगीकृत करने की कृपा करें।

विपक्षीगण द्वारा आपत्ति कागज संख्या 12सी2 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम विधि विरूद्ध है एवं उसमें अंकित तथ्य असत्य एवं बनावटी हैं। आवेदक ने अपनी बीमारी का असत्य कारण अंकित किया है, क्योंकि आवेदक ने कोई चिकित्सीय प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किया है और दिनांक 16.09.2025 से दिनांक 17.11.2025 तक क्यों अपील प्रस्तुत नहीं की गयी। इसका भी कोई दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण अंकित नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त आधारों के प्रकाश में आवेदक धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है और प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक द्वारा प्रश्नगत् आदेश दिनांकित 14.08.2025 की जानकारी होने के उपरांत दिनांक 16.09.2025 को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने हेतु नकल सवाल डलवाया गया तथा दिनांक 16.09.2025 को आदेश की प्रति प्राप्त होने पर दिनांक 17.11.2025 को यह आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है। आलोच्य आदेश के विरूद्ध अपील

प्रस्तुत करने की मियाद 30 दिवस है। यदि आवेदक द्वारा आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये लगी समयावधि को दृष्टिगत रखा जाता है, तो आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील लगभग 65 दिन विलम्ब से योजित की गयी है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि मामले का निस्तारण पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रार्थना पत्र शपथ–पत्र से समर्थित है।

विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर सुनवाई करते समय न्यायालय को नर्म रूख़ अपनाना चाहिए। प्रार्थना–पत्र में विलम्ब का कारण प्रश्नगत आदेश की जानकारी न होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह मत है कि अपील दाखिल करने में जो देरी हुई है, वह सद्भाविक है तथा माफ किये जाने योग्य है तथा प्रार्थना पत्र 6सी2 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना–पत्र 6सी2 मु0–500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

अधिरोपित हर्जा नियत तिथि तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा में जमा किया जाये।

पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 21.04.2026 को पेश हो।

(दिनेश चन्द) 10.4.26
जनपद न्यायाधीश, एटा
JO Code UP 6538

<u>दिनांकः 10.04.2026</u>